झारखण्ड
JSPCB

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
दूरभाष : (0651) 2400851, 2400852, फैक्स : 0651–2400850

पत्रांक–.......................................   राँची, दिनांक ....

आवश्यक सूचना

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को सूचना प्राप्त हुई है कि कतिपय इकाईयों के द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट यथा–सूई, सीरिंज, कालपेल, ब्लेड, ग्लास, हानिकारक रसायन आदि को नदी–नालों, तालाब, सड़क आदि सार्वजनिक स्थल पर अवैध ढंग से फेंका जाता है ।

ऐसे कार्य करने वाले सभी इकाईयों को एतद् द्वारा चेतावनी दी जाती है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 1998 के अनुसार ही करें अन्यथा संबंधित इकाई का Authorization/Renewal of authorization, तत्काल निरस्त (revoke) करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अर्न्तगत कानूनी कार्रवाई की जाएगी । जिसके अर्न्तगत पाँच वर्ष तक की कारावास की सजा अथवा एक लाख रूपए अथवा दोनों की सजा दिए जाने का प्रावधान है । इसके अर्न्तगत उल्लंघन जारी रखे जाने पर रू0 5000/–(पाँच हजार रूपये) तक की राशि प्रतिदिन की दर से जुर्माना किये जाने का प्रावधान है ।

सदस्य सचिव

April_07\MS\sanjeev\597